

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-सी 3/17/1/3/2011

भोपाल, दिनांक 20.12.2011

प्रति,

समस्त पदाभिहित अधिकारी
समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी
समस्त कलेक्टर (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)

विषय- सेवा क्र. 6.1 - स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ- लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24.09.2011

इस सेवा का उद्देश्य आम जनता को विभिन्न प्रयोजनों के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है।

पात्रता -

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी -

- i. आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरन्तर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो (मूक, बधिर, अन्ध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)।
- ii. आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो।
- iii. आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरन्तर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल संपत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो।
- iv. आवेदक राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हो।
- v. आवेदक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो।
- vi. आवेदक केन्द्र शासन का, मध्यप्रदेश की सीमा में, 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो।
- vii. आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।
- viii. आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।

आवश्यक दस्तावेज

1. प्रपत्र-1 में आवेदन-पत्र

आवेदन-पत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रपत्र-दो में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। शपथ-पत्र में इस परिपत्र की पात्रता में वर्णित मापदण्डों में से किसी एक अथवा अधिक, जिनकी भी वह पूर्ति करता हो का विवरण विस्तार से अंकित किया जायेगा।

सेवा प्राप्ति के लिये प्रक्रिया

1. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र संलग्न प्रपत्र-एक में पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है (प्रपत्र-चार)। यदि पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो पावती में आवेदन के निराकरण की समय-सीमा बताई जाएगी और यदि आवेदन अपूर्ण है तो जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, उनका उल्लेख किया जायेगा, परन्तु समय-सीमा नहीं बताई जावेगी।
3. आवेदन-पत्र लेते समय आवेदक का मोबाइल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
4. 4.1 आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में किया जावेगा। (प्रपत्र-पांच) एक ही आवेदन को पृथक-पृथक पंजियों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।

- 4.2 संबंधित पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपनी-अपनी अधिकारिता में) निर्धारित प्रपत्र-तीन में स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र 7 कार्य दिवस में जारी किया जायेगा।
5. 5.1 आवेदक के पक्ष में विधिवत रूप से जारी मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र स्थाई होगा।
- 5.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पत्नी एवं उसके अवयस्क पुत्र-पुत्री (पति के जीवित न होने/तलाक हो जाने पर पत्नी को स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी होने की स्थिति में उनके अवयस्क पुत्र-पुत्री) स्वतः ही मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होंगे। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पत्नी एवं अवयस्क बच्चों के लिए पृथक से स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.3 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी व्यक्ति (माता/पिता) के पुत्र/पुत्री के वयस्क होने पर उनके माता/पिता के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति से सत्यप्रति का सत्यापन कर ऐसे पुत्र/पुत्री के वयस्क होने पर उनके पक्ष में मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।
- 5.4 मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र किसी व्यक्ति की जाति निर्धारण के लिए जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में विचारार्थ साक्ष्य रूप में ग्राह्य नहीं होगा।
6. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य/संलग्न अभिलेख प्रथम दृष्टया आवेदन/शपथ-पत्र में वर्णित तथ्यों से अलग हटकर आवेदक के स्थानीय निवासी नहीं होने के बारे में जानकारी दर्शित करते हैं तो आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र/आपत्ति निरस्त कर सकेगा।
7. सुनवाई/जांच पश्चात् शपथ-पत्र में वर्णित तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुति के परिणामस्वरूप शपथकर्ता के विरुद्ध अपेक्षित विधिक कार्यवाही करेगा।
8. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र स्थायी होने से प्रकरण संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी। प्रकरण में मूल आवेदन एवं मूल शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न रखा जायेगा।
9. निर्धारित समयावधि में प्रमाण-पत्र जारी न होने पर प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को की जावेगी जिसका निराकरण 15 कार्य दिवसों में किया जायेगा। यदि निर्धारित समयावधि में अपील का निराकरण नहीं किया जाता है तो द्वितीय अपील कलेक्टर को की जायेगी।
10. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में ज्ञाप क्र. सी-3/22/2010/3/1, दिनांक 28.10.2010 द्वारा जारी किये गये निर्देश एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(विजया श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 20.12.2011

पृ.क्र. सी-3/17/1/3/2011

प्रतिलिपि :-

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

नायब तहसीलदार/तहसीलदार

तहसील

जिला

विषय- स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय/महोदया

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है। मेरे द्वारा संपादित शपथ-पत्र संलग्न है। यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें -

1. मेरा नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जन्मतिथि
4. निवास का पूरा पता
मकान नं.....मोहल्ला
ग्राम/शहर का नाम
- तहसील..... जिला
5. *मेरी पत्नी का विवरण नाम आयु वर्ष
6. *मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रियों का विवरण (1) नाम पुत्र/पुत्री, आयु वर्ष
(2) नाम पुत्र/पुत्री, आयु वर्ष
(3) नाम पुत्र/पुत्री, आयु वर्ष

संलग्न - शपथ पत्र।

मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम -

*लागू न होने की स्थिति में काट दें/वर्णित न करें।

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र
शपथ-पत्र

फोटो
अभिप्रमाणित

मैं आत्मज/पति श्री आयु लगभग
..... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि -

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती एवं उम्र (लगभग) वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री-1. श्री/कु..... आयु (लगभग)..... वर्ष
2. श्री/कु. आयु (लगभग) वर्ष
4. (यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3/17/1/3/2011, दिनांक 20.12.2011 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें।)
1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर मोहल्ला ग्राम तहसील
जिला में वर्ष में पैदा हुआ/हुई हूँ। मैंने संस्था ग्राम/शहर.....
तहसील जिला में वर्ष से वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है।
2. मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील
जिला में विगत 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ।
(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां-कहां निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
3. मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्ष से ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील
जिला में निरंतर निवासरत हूँ और मेरे नाम ग्राम/शहर में सर्वे नम्बर रकवा
..... का भूखण्ड/मकान है। मैं उद्योग/व्यवसाय करता हूँ। मेरा टिन नम्बर/
पेन नम्बर है।
4. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नाम
विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
5. मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में
पद पर कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें)
6. मैं, केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर कार्यालय तहसील
जिला के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
7. मैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष) अधिकारी हूँ।
पद पर कार्यालय/मंत्रालय में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम।)
8. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद पदनाम पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा
नियुक्त हूँ।
(पूर्ण विवरण दिया जाये।)

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

सत्यापन

में..... आत्मज/पति श्री आयु वर्ष निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कंडिका लगायत में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। सत्यापन आज दिनांक को स्थान में किया गया।

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ-पत्र में किया जाये।)

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील.....जिला.....

प्र.क्र.

वर्ष

दिनांक.....

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहां आवेदक का
पासपोर्ट साइज का
फोटो लगाया जाए
जो प्राधिकृत
अधिकारी द्वारा
सत्यापित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.
पिता/पति निवासी तहसील जिला (मध्यप्रदेश)
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक में
निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

2. *प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक
के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी*/अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के
स्थानीय निवासी हैं -

टीप :- यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं
होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह. तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील.....
जिला.....

*लागू न होने पर काट दें।

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत
अभिस्वीकृति का प्रारूप**

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का
नाम एवं पता
1. आवेदक का नाम एवं पता
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं।
4. निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख

स्थान

दिनांक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट - आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम

माह वर्ष

क्रमांक (1)	आवेदक का नाम एवं पता (2)	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है (3)	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख (4)	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त (5)	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण (6)